

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुयम की तामील  
में जारी हुए

22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है।  
पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली  
दिनांक 12-2-24 को पेश हो।

24


पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है।  
पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली  
दिनांक 5-6-24 को पेश हो।

5.6.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान  
पीठासीन अधिकारी महोदय वीरे/ अवकाश/अन्य  
राजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 23.9.24  
को पेश हो।

13/7/24

आज सम्बन्धित न्यायालय से पत्रावली राष्ट्रीय  
लोक अदालत में पेश हुई। वकील पक्षकारान  
अनुपस्थित है। रादी एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थित  
है। पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।  
पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को नियत पेशी से  
पूर्व भेजी जावें।

अध्यक्ष  सचिव  
तालुका शिक्षक सेवा समिति नैनवी  
जिला बूंदी (राज0)

23.9.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान  
पीठासीन अधिकारी महोदय वीरे/ अवकाश/अन्य  
राजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 21.1.25  
को पेश हो।

21.1.25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान  
उप० है। बहल प्रार्थना पत्र 7-1-सुनी  
गई। बहल में वकील प्रार्थी ने  
अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की चरण  
संख्या 1 में वर्णित भूमि पर निर्माण  
नहीं करने की अस्थायी निषेधाज्ञा  
से पाबंद करवाने हेतु निवेदन किया  
जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण  
ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण कोई

26/06/06

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
	<p>नवीन निर्माण नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न पर जो मकान निर्मित है वह पहले से ही बना हुआ है। तकनीक प्रगति ने कोई नवीन निर्माण नहीं किये जाने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर सहमति जाहिर की। अतः ग्राम कुलेता की खाता सं. 204 की खसरा संख्या 529 पर कोई नवीन निर्माण नहीं करने तथा मॉडर्न की यथास्थिति बनाए रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा से ताकसला बाद <sup>अर्थात्</sup> <del>अपारिग्रह</del> को पाबंद किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकनीक मूलवाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नैतवी (बूंदी)</p>	

न्याय

प्रार्थना प

1.